

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो012/2-01/2024(पार्ट) 1763 / यो0वि0, पटना दिनांक 26 मार्च, 2025
प्रेषक,

अजय कुमार,
उप निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
राज्य स्कीम से संबंधित सभी विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: वार्षिक स्कीम 2024-25 के लिए अनुश्रवण की मासिक बैठक से संबंधित।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक स्कीम 2024-25 अन्तर्गत माह मार्च, 2025 तक किये गए व्यय की समीक्षा हेतु बैठक दिनांक 04.04.2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न से संलग्न रोस्टर के अनुसार अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के सभागार में आपके विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारियों की बैठक निर्धारित की गयी है, जिसके लिये निम्नानुसार प्रतिवेदन अपेक्षित है:-

❖ विभागीय पत्रांक 298 दिनांक 15.01.2024 द्वारा उद्व्यय के संसूचन के अनुसार माह मार्च, 2025 के प्रक्षेत्रवार उद्व्यय/व्यय प्रतिवेदन (प्रपत्र-A, B)। योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4539 दिनांक 18.08.2017 द्वारा भेजे गये संशोधित प्रपत्र A एवं B के सभी कॉलम में सूचनाएँ अंकित की जानी अपेक्षित है।

❖ विभागीय पत्रांक 3859 दिनांक 24.09.2012 द्वारा निर्गत अनु0 जाति उप योजना/जनजाति उप योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन।

❖ केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार से राशि की विमुक्ति हेतु राज्य स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अन्य कार्रवाई की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन भी अपेक्षित है।

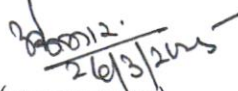
2. इन कार्यक्रमों का माह मार्च, 2025 तक का व्यय प्रतिवेदन विहित प्रपत्रों में ई-मेल secy-plandev-bih@nic.in एवं हार्ड कॉपी की एक प्रति दिनांक 02.04.2025 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल, बिहार को भेजे जाने वाले मासिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) दिनांक 02.04.2025 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि ससमय माननीय राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय (संलग्न रोस्टर के अनुसार) पर वांछित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति के साथ बैठक में भाग लेने हेतु अपने विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


26/3/2025
(अजय कुमार)
उप निदेशक

P.T.O.

ज्ञापांक: यो012/2-01/2024(पार्ट) 1763 /यो0वि0, पटना दिनांक 26 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: विशेष सचिव/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रोजेक्ट इंचार्ज, सी0एफ0एम0एस0, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
26/3/2025

ज्ञापांक: यो012/2-01/2024(पार्ट) 1763 /यो0वि0, पटना दिनांक 26 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
26/3/2025

ज्ञापांक: यो012/2-01/2024(पार्ट) 1763 /यो0वि0, पटना दिनांक 26 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: उप निदेशक, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 04.04.2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना स्थित सभागार को इस बैठक के लिए आरक्षित करने की कृपा की जाय।

उप निदेशक
26/3/2025

ज्ञापांक: यो012/2-01/2024(पार्ट) 1763 /यो0वि0, पटना दिनांक 26 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: ✓ श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप निदेशक
26/3/2025

दिनांक 04.04.2025 को निर्धारित बैठक का रोस्टर

समय:- 11.30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक
स्थान:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के सभागार।

विभाग का नाम	निर्धारित समय
कृषि/पशु एवं मत्स्य संसाधन/कला, संस्कृति एवं युवा/ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/भवन निर्माण/ मंत्रिमंडल सचिवालय/वाणिज्य कर/सहकारिता/आपदा प्रबंधन/शिक्षा/निर्वाचन/ऊर्जा/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/वित्त/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/ सामान्य प्रशासन/स्वास्थ्य/गृह/उद्योग/सूचना एवं जनसम्पर्क/सूचना प्रावैधिकी/श्रम संसाधन विभाग	11.30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न
विधि/खान एवं भूतत्व/लघु जल संसाधन/अल्पसंख्यक कल्याण/पंचायती राज/संसदीय कार्य/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/योजना एवं विकास/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन/राजस्व एवं भूमि सुधार/पथ निर्माण/ग्रामीण विकास/ग्रामीण कार्य/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण/विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा/समाज कल्याण/खेल/गन्ना उद्योग/पर्यटन/ परिवहन/नगर विकास एवं आवास/जल संसाधन विभाग	12.30 बजे अपराह्न से 01:30 बजे अपराह्न